



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072025-264533
CG-DL-E-11072025-264533

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3015]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 2025/आषाढ़ 19, 1947

No. 3015]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 2025/ ASHADHA 19, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2025

का.आ. 3083(अ).—जबकि भारत सरकार को लोकहीत में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र राज्य में मुंबई—नागपुर—झारसुगुडा नेचरल गैस पाइपलाइन खंड नागपुर—झारसुगुडा पाइपलाइन खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मेसर्स गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब भारत सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख के जिसको उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकापित इस अधिसूचना की प्रतियो साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है 21 दिन के भीतर उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने की संबंध में सक्षम प्राधिकारी भुसंपादन (एम.एन.जे.पी.एल. प्रकल्प) गेल (इंडिया) लिमिटेड, 100, राणा हाऊस, 2 रा. माला, ईस्ट हायकोर्ट रोड, रामदासपेठ, नागपूर – 440010 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

मुंबई—नागपुर—झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइप लाइन						
अनुभाग — नागपुर—झारसुगुडा						
अनुसूची						
राज्य : महाराष्ट्र						
जिला	तालुका	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5		
भंडारा	तुमसर	तुडका	310	00	06	42

[फा. सं. एल-14014/206/2022-जीपी-II(ई-44561)]
रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2025

S.O. 3083(E).— whereas it appears to Government that it is necessary in the public interest that for transportation of Natural Gas through **Mumbai—Nagpur—Jharsuguda Natural Gas Pipeline** Section of **Nagpur—Jharsuguda** in the state of **Maharashtra**, a pipeline should be laid by M/s. GAIL (India) Limited.

And whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), Government of India hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule, may within twenty-one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the General Public, object in writing to the acquisition of the right of used therein or laying of the pipeline under the land to the Competent Authority Land Acquisition, (M.N.J.P.L. Project) GAIL (India) Limited, 100, Rana House, 2nd Floor, East High Court Road, Ramdaspeth, Nagpur 440010.

Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline**Section - Nagpur – Jharsuguda****SCHEDULE****State : Maharashtra**

District	Taluka	Village	Survey No.	Area		
				Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5		
Bhandara	Tumsar	Tudka	310	00	06	42

[F. No. L-14014/206/2022-GP-II(E-44561)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.